



संख्या-10/2026/001-ई-4016008/60-3-2026-सी-1705947

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
लखनऊ, उ०प्र०।

महिला कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के लिए प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17/निदे०म०क०/लेखा-बजट-वि.स्वी./2026-27, दिनांक 08.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष के की कतिपय मदों में प्राविधानित धनराशि रू०-15200.00 लाख (रूपये एक अरब बावन करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू०-7600.00 लाख (रूपये छिहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष के की कतिपय मदों में प्राविधानित धनराशि रू०-15200.00 लाख (रूपये एक अरब बावन करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू०-7600.00 लाख (रूपये छिहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्रुत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/ दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्रुत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत कराये।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्रुत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2235021031000 (उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	42 अन्य व्यय	75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र)
6	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)
	कुल			76,00,00,000 (रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र)
महायोग				76,00,00,000 (रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिवा

संख्या-10 /2026/001-ई-4016008/60-3-2026-सी-1705947, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- 3- विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, योजना भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
- 5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।